

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 173/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-1/2014-15 दिनांक 05/12/2014

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री अमित कुमार गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता, श्री मोहित गुप्ता पुत्रगण स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा पार्ट आफ साईट नं0-29 सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के कम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदकगण को करना बाध्यकारी होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


श्री 173/प्र0अ0  
आदि: 9/12/14  
5-12-14

(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रमारी अधिकारी (त0स0-2)



STILT FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN




THIRD FLOOR PLAN




TERRACE PLAN

SECTION AT-AB



FRONT ELEVATION



SECTION OF STAIR



SITE PLAN



KEY PLAN

**NOTE :-**

- LIME CONC. IN FOUNDATION
- FLOORING OVER R.C.C. SLAB
- 1-TOTAL PLOT AREA = 167.30 Sqm.
- 2-ROAD WIDNING AREA = 19.95 Sqm.
- 3-NET AREA OF PLOT = 148.25 Sqm.
- 4-COVERED AREA ON STILT.F. = 51.85 Sqm.
- 5-COVERED AREA ON F.F. = 51.85 Sqm.
- 6-COVERED AREA ON S.F. = 51.85 Sqm.
- 7-COVERED AREA ON T.F. = 51.85 Sqm.
- 8-OPEN AREA ON G.F. = 16.37 Sqm.
- 9-MUNTY AREA = 1.35
- 10-ACHIEVED F.A.R. = 5.0 NOS.
- 11-PROVIDE CAR PARKING = 5.0 NOS.
- 12-GROUND COVERAGE = 35.0%

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhuvan Upridhi 2012

**PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF SITE NO.29 CIVIL STATION, ALLAHABAD. (PART SITE NO.29)**

OWNER :-

SCALE 1:100

SRI-AMIT KUMAR GUPTA  
SRI-DEEPAK GUPTA  
SRI-MOHIT GUPTA  
S/O LATE R.C. GUPTA

*E. K. K. Mishra*  
E. K. K. Mishra  
87m Ltd  
AN-149024-0  
Vny Engineering Associate  
G-25, Indra Ekamra Chh. Lines A.P.  
Mob. 9415217069

SIG. OF OWNER SIG. OF ENG.